रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265321
CG-DL-E-08082025-265321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3543] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 3543] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3630(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात्, अपने पत्र संख्या ईएफ़.सं 13(3)/2022-ईजी-II, दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के माध्यम से भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुमति दी हें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अभिकरन कहा गया है) को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान

स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित किया जा सकता है;

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण, उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों, जिसमें पॉलिटेक्निक और पीजीडीएम संस्थान शामिल हैं, जो एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम संचालित करते हैं, में छात्रों/संकाय/कर्मचारियों के प्रमाणीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) के लिए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार किया जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त अभिकरन केवल बायोमीट्रिक-सक्षम आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से वास्तविकता और उपस्थिति स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी;

अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

(क) उक्त अधिनियम में यथा उपबंधित अभिकरन, इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी;

(ख) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है और अभिकरन आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगी और आधार संख्या धारक द्वारा प्रमाणीकरण कराने से इनकार करने, ऐसा कराने में असमर्थ होने पर उक्त अभिकरन उसे सेवा देने से इनकार नहीं करेगी।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1-25/2025-टीएस.II]
गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

S.O. 3630(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, after consultation with the Unique Identification Authority of India, had allowed *vide* its letter No. eF.No. 13(3)/2022-EG-II, dated the 7th April, 2025 to the Government of India, Ministry of Education, Department of Higher Education (hereinafter referred to as the said Ministry), for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good

Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the All India Council for Technical Education (hereinafter referred as the said Agency**)** may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for authenticating students/faculty/staff in HEIs and other professional institutions including Polytechnics and PGDM institutions offering AICTE approved programs (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Agency shall perform the Aadhaar authentication only for establishing genuineness and attendance through implementation of biometric-enabled Aadhaar authentication system;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the said Ministry hereby notifies the following, namely: -

(a) the agency as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein;

(b) as per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and the said Agency shall not deny service to the Aadhaar number holder for refusing to, being unable to, undergo Aadhaar authentication.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1-25/2025-TS.II]

GOVIND JAISWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.08 22:07:05 +05'30'